Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

पशुधनं नित्यं सर्वलोकोपकारकम्

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

Vice-Chancellor No.F(111/17)VCS/RAJUVAS/RTI /2018/ अ. Dated: 22-01-2018

गौरव बेनीवाल
ग्राम / पोस्ट भोजासर
तहसील भादरा, जिला–हनुमानगढ़
पिनकोड–335501 (राज.)

विषयः–अपील सं. 111/2017 श्री गौरव बेनीवाल बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में कुलपति एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 11.12.2017 की प्रति सलंग्न कर सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित है।

सलंग्नः– निर्णय प्रति।

sd/-
निजी सचिव
कुलपति सचिवालय,
राजूवास, बीकनेर

प्रतिलिपिः– 24 / 22-1-18

1. लोक सूचना अधिकारी एवं कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को निर्णय दिनांक 11.12.2017 की प्रति पालनार्थ / सूचनार्थ प्रेषित है।
2. डॉ. जी.सी. गहलोत, प्रोफेसर, ए.जी.बी., पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर को निर्णय प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि निर्णय विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर जारी करने का कष्ट करावें।

निजी सचिव
कुलपति सचिवालय,
राजूवास, बीकनेर

Ph.No. 0151 - 2543419 (O)
2549348 (Fax)

सूचना का
अधिकार
RIGHT TO
INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. B.R. Chhipa
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 111/2017

गौरव बेनीवाल
ग्राम/पोस्ट भोजासर
तहसील भादरा, जिला–हनुमानगढ़
पिनकोड–335501 (राज.) — अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर — प्रत्यर्थी

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 23.11.2017
अपील में निर्णय की दिनांक 11.12.2017

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्रांक एफ.(913)/राजुवास/रजि./आर.टी.आई./2017/353 दिनांक 03.11.2017 के द्वारा प्रेषित सूचना/प्रत्युत्तर से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि शासन उप सचिव पशुपालन विभाग, जयपुर के पत्र के संलग्न आवेदक का आवेदन पत्र अन्तरित होकर दिनांक 24.10.2017 को कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी राजुवास, बीकानेर कार्यालय को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी/आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना व कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के उक्त वर्णित पत्रांक 353 दिनांक 03.11.2017 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित सूचना का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमशः

क्र. सं.	वांछित सूचना	प्रत्युत्तर / सूचना
1.	Rajasthan University fo Vaterinary and Animal Science Bikaner के अधिन किसी भी महाविद्यालय से द्विवर्षीय पशु पालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम (AHDP) का नियमित छात्र क्या किसी भी विश्वविद्यालय से स्वयं पाठी छात्र के रूप में स्नातक डिग्री की परीक्षा दे सकता है क्या एक वर्ष में दो परीक्षाओं मान्य है ?	वांछित सूचना के क्रम में लेख है कि आप द्वारा सूचना प्रश्नात्मक स्वरूप में चाही गयी है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(J) में वर्णित *'सूचना'* की परिभाषा अनुसार प्रश्न सूचना की श्रेणी में नहीं आते। इसके अलावा ***रिट पीटीशन सं. 419/2007 डॉ. सेल्सा पिण्टों बनाम गोवा राज्य सूचना आयोग*** के प्रकरण में माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा ***निर्णय दिनांक 03.04.2008*** से माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया जा चुका है कि लोक सूचना अधिकारी प्रश्नों का उत्तर देने हेतु उत्तरदायी नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा कुल सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजुवास, बीकानेर के पत्रांक 353 दिनांक 03.11.2017 द्वारा प्रदत्त प्रत्युत्तर/सूचना से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत इस अपील में लोक सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं होने का उल्लेख करते हुए सूचना प्रदान करने की प्रार्थना की है। विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक F.(A-111/17)VCS/RAJUVAS/RTI/2017/386 दिनांक 25.11.2017 के द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 11.12.2017 नियत की गई होना अवगत करवाया गया। लेकिन अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी/आवेदक द्वारा प्रश्नात्मक स्वरूप मे सूचना चाही गयी है व काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना सूचना का अधिकार अधिनियम की परिधि में नहीं आता है व अधिनियम में "सूचना" की परिभाषा अनुसार "प्रश्न" सूचना की श्रेणी में नहीं आते है व रिट याचिका संख्या 419/2017 डॉ सेल्सा पिण्टों बनाम गोवा राज्य सूचना आयोग में माननीय मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिपादित सिद्धांत कि "लोक सूचना अधिकारी प्रश्नों के उत्तर देने हेतु उत्तरदायी नहीं है" की ओर भी ध्यान आकृष्ट करते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की गई।

उक्त वर्णित तथ्यों, तर्कों, संबंधित अभिलेख, नियमों व माननीय मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में अद्योहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा निर्धारित समयावधि में समुचित प्रत्युत्तर अपीलार्थी/आवेदक को दिया जा चुका है व लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही विधि सम्मत है। अतः उक्त तथ्यों व आधारों पर अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभयपक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

Attested

कुल सचिव
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर

(बी.आर. छीपा)
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर